संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./सेल–3/2020/ भोपाल, दिनांक /03/2020

प्रति,

समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।

विषयः– Quarantine Facility **हेतु आबंटित बजट के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश।**

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावित देश से आने वाले यात्री की निगरानी की जाना है। इन यात्रियों में से कुछ को Quarantine Facility मे रखे जाने की आवश्यकता होगी। प्रदेश में 55 Quarantine Facility में यात्रियों के लिये 744 बिस्तर की व्यवस्था की गई है (सूची संलग्न)। राशि रू. 15,000/ प्रत्येक बिस्तर के मान से एन.एच.एम के द्वारा अनटाइड फंड(गतिविधि क्र. 4.1.1–B 2.1) में आबंटित की गई है। आबंटित राशि का उपयोग निम्नानुसार मदों मे निर्धारित सीमा के अंतर्गत किया जावें:–

क्र.	मद	राशि
1	बेड (बेड से संबंधित सामाग्री)	10000
2	डाईट	1500
3	साफ–सफाई	2000
4	मनोरंजन सामग्री	1500
	योग (रूपयें पंद्रह हजार मात्र)	**15000**

2. ई–वित्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश जिलों में अनटाइड फंड (गतिविधि क 4.1.1–B 2.1)में राशि उपलब्ध है। अतः प्रथम चरण में केवल उन जिलों के लिये आबंटन दिया जा रहा है, जहां राशि उपलब्ध नहीं है। शेष जिलों में अनटाइड फंड में उपलब्ध राशि का उपयोग करने एवं उसकी सूचना संचालनालय को देने पर अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सकेगी।
3. अनटाइड फंड की राशि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को उपलब्ध है। निर्देशित किया जाता है कि जिले में स्थापित किये गये Quarantine Facility के लिये संबंधित अधिकारी को उपरोक्तानुसार राशि दिनांक 12.03. 2020 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाये। व्यय होने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर समायोजन अनटाइड फंड में किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.उपेन्द्र दुबे)
संयुक्त संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./अ.प्रशा./ सेल–3/2020/ ५५७ **भोपाल, दिनांक 11/03/2020**

प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 8 अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश।
6. अतिरिक्त संचालक, आई.डी.एस.पी स्थानीय कार्यालय।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से संबंधित राशि प्राप्त कर आपके अधीन संस्थाओं में वितरित करने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
8. आई.टी. शाखा कृपया पत्र कोरोना वायरस (COVID-19) पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त संचालक (अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

Hasan D:/ HA / 2020 / Cell-5